न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

पी0ए0 केश नं0– 18/2017–18

रंजन मालतो बनाम् रैयान मौजा–छोटा भोड़ाय

–: आदेश :–

11.02.2021

वर्तमान प्रक्रिया आवेदक रंजन मालतो, पे0–स्व0 जगदीश मालतो सा0–छोटा भोड़ाय, अंचल–बोआरीजोर, जिला–गोड्डा ने संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–6 के तहत मौजा–छोटा भोड़ाय नं0–17 के ग्राम प्रधान की मृत्यु के फलस्वरूप रिक्त प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दिया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, बोआरीजोर से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के कार्यालय पत्रांक–143/रा0 दिनांक–05.02.2021 प्राप्त है।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया।

आवेदक के द्वारा दाखिल आवेदन का जाँच प्रतिवेदन अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के पत्रांक–143/रा0 दिनांक–05.02.2021 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा– छोटा भोड़ाय नं0–17 के पूर्व प्रधान रेविका मालतो की मृत्यु दिनांक–17.10.2017 को हो जाने के कारण प्रधानी पद रिक्त है जिसके लिए रंजन मालतो, संगीता मालतो एंव मोमीता मालतो के द्वारा आवेदन पत्र दाखिल किया गया है। उक्त तीनों आवेदक एक ही जमाबंदी नं0–12 से संबंधित है तथा वंशावली के आधार पर आवेदक रंजन मालतो अंतिम मृत प्रधान रेविका मालतो का पंचम पुत्र है तथा खतियानी रैयत विलियम पहाड़िया के साथ परपोता का संबंध है। आवेदिक संगीता मालतो अंतिम मृत प्रधान रेविका मालतो के साथ पोती का संबंध है, जो उनके प्रथम पुत्र दिलीप मालतो की कनिष्ठ अविवाहित पुत्री है और खतियानी रैयत के साथ छरपोती का संबंध है। साथ ही आवेदिका मोमीता मालतो का मृत प्रधान रेविका मालतो से कोई सीधा संबंध नहीं है परन्तु उसी जमाबंदी रैयत विलियम पहाड़िया के साथ छरपतोहु का संबंध है।

अंचल अधिकारी, बोआरीजोर द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–6 के तहत वंशानुगत आवेदक रंजन मालतो को मौजा–छोटा भोड़ाय नं0–17 का प्रधान नियुक्त करने के लिए अग्रेतर कार्रवाई का अनुरोध किया है।

F/Order.

किसी भी व्यक्ति या प्रधिकार द्वारा उक्त नियुक्ति पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि आवेदक मौजा के 16 आना रैयतों को सामान्यतः स्वीकार है तथा उनके विरूद्ध संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनिमय, 1950 के तहत वर्णित किसी भी प्रकार की आयोग्यता से संबंधित प्रतिवेदन अप्राप्त है। संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनिमय, 1950 के अनुसूची–V की उपधारा–3 के अनुसार The office of Headman being hereditary the next heir who is titled should be headman के आलोक में आवेदक के आवेदन के विरूद्ध मौजा के 16 आना रैयतों से किसी भी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं होने तथा अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर रंजन मालतो, पे0–स्व0 जगदीश मालतो सा0–छोटा भोड़ाय, अंचल–बोआरीजोर, जिला–गोड्डा को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–6 के तहत मौजा–छोटा भोड़ाय नं0–17 का प्रधान नियुक्त किया जाता है। नवनियुक्त प्रधान को आदेश दिया जाता है कि वे एक वर्ष का खजाना कोषागार में जमाकर चालान की प्रति के साथ संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–7 के तहत कबूलियत और जमानत दाखिल कर पट्टा प्राप्त करेंगे।

लेखापित एवं संशोधित।

11/02/21

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

11/02/21

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

F/Order.